न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 14/2024
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एकट

1. सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा. नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एम.एम.के. ढाणी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख साकिन ढाणी चक 3 एम.एम.के. लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता – प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 23.09.2024

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के नाम चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व इसी चक के खाता संख्या 16/4 खाता गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2065–68 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खातो की नकल जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 4 डीएलपी खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व इसी चक के खाता संख्या 16/4 खाता गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2065–68 में प्रार्थीगण के नाम के आगे नाबालिग शब्द का प्रयोग किया गया है व जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज की गई है एवं पता नवा दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की आयु लगभग 28 वर्ष हो गई है। तथा प्रार्थी संख्या 1 की जाति जटसिख है व पता सा.नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एमएमके ढाणी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ है। जबकि चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व इसी चक के खाता संख्या 16/4 खाता गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2065–68 में प्रार्थी संख्या का नाम नाबालिग सविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह सरंक्षक सरपरस्त माता जसवि[illegible] जगजीत सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. नवा दर्ज [illegible] सही नाम सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसि[illegible] साहिब चक 4 एमएमके ढाणीयां नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ है। जम[illegible]ी की उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है व काबिल दुरूस्ती है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा.ढाणी चक 3 एमएमके लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ का नाम के आगे उक्त दोनो जमाबन्दीयो में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.10 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाबालिग शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 की आयु लगभग 35 वर्ष है व इसकी जाति जटसिख के स्थान पर कुम्हार (प्रजापति) दर्ज की गई है व इसका पता भी ढाणी चक 3 एमएमके लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के स्थान पर नवा दर्ज किया गया है जो एक लिपिकीय त्रुटि है व काबिल दुरूस्ती है। अतः प्रार्थी संख्या 1 अपना नाम जाति व पता दुरूस्त करवा नाबालिग सविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.नवा के स्थान पर दुरूस्त करवा सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा.नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एमएमके ढाणीया नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज करवाना चाहता है व प्रार्थी संख्या 2 अपना नाम,जाति व पता दुरूस्त करवा नाबालिग गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह सरक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्र कौर पत्नी जगजीत सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. नवा के स्थान पर दुरूस्त करवा गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा. ढाणी चक 3 एमएमके लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम जाति व पता गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से कई दफा निवेदन किया कि वे प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रार्थीगण का नाम जाति व पता प्रार्थना पत्र की दफा 3 के अनुसार दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो इस पर अप्रार्थी ने प्रार्थी के निवेदन पर उसे सक्षम न्यायलय में वाद पेश करने का सुझाव दिया। बस यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व इसी चक के खाता संख्या 16/4 खाता गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2065–68 में प्रार्थी संख्या 1 अपना नाम जाति व पता दुरूस्त किया जाकर नाबालिग सविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह सरंक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्र सिह पत्नी जगजीत सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.नवा के स्थान पर दुरूस्त कर सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा.नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एमएमके ढाणीया नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज किया जावे व इसी अनुसार जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे। प्रार्थी स[illegible]ना नाम जाति व पता दुरूस्त करवा नाबालिक गुरविन्द्र [illegible] सरपरस्त माता जसविन्द्र कौर पत्नी जगजीत सिह जा[illegible] के स्थान पर दुरूस्त करवा गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख सा. [illegible] चक 3 एमएमके) सा.नवा के स्थान पर दुरूस्त करवा गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.10 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जटसिख सा. ढाणी चक 3 एमएमके लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ दर्ज किया जावे व इसी अनुसार जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र कमांक ए–2/एफ/दुरू./धारा–136/भू.अ./ 3230 दिनांक 28.08.2024 द्वारा गुरविन्द्र सिह, सपीन्द्र सिह पि.जगजीत सिह वर्तमान में चक 3 एमएमके ग्राम पंचायत नाथवाना में रहते है तथा प्रार्थीगण लगभग 20 वर्षो से चक 3 एमएमके में स्थायी निवास करते है। गुरविन्द्र सिह, सपीन्द्र सिह पि. जगजीत सिह की जाति जटसिख है एवं गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका में जन्म दिनांक 15.09.1990 है एवं सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अंकतालिका में जन्म दिनांक 09.04.1996 है जो कि बालिग होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। जो शामिल पत्रावली है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये जैसे चित्र प्रति आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका आदि पेश किये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजाता के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व [illegible] खाता 16/4 खाता गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2065–68 मे नाबालिग सविन्द्र [illegible] पुत्र जगजीतसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्रकौर पत्नी [illegible] जाति कु[illegible] (प्रजापति) सा.नवा के स्थान सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख [illegible] नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एम.एम.के. ढाणी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ शुद्व किया जावे एवं नाबालिग गुरविन्द्रसिह पुत्र जगजीतसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्रकौर पत्नी जगजीतसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.नवा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaush
Date: 2024.10.10 11:02:07 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जटसिख सा. ढाणी चक 3 एमएमके लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज किया जावे व इसी अनुसार जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक ए–2/एफ/दुरू./धारा–136/भू.अ./ 3230 दिनांक 28.08.2024 द्वारा गुरविन्द्र सिह, सपीन्द्र सिह पि.जगजीत सिह वर्तमान में चक 3 एमएमके ग्राम पंचायत नाथवाना में रहते है तथा प्रार्थीगण लगभग 20 वर्षो से चक 3 एमएमके में स्थायी निवास करते है। गुरविन्द्र सिह, सपीन्द्र सिह पि. जगजीत सिह की जाति जटसिख है एवं गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका में जन्म दिनांक 15.09.1990 है एवं सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अंकतालिका में जन्म दिनांक 09.04.1996 है जो कि बालिग होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। जो शामिल पत्रावली है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये जैसे चित्र प्रति आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका आदि पेश किये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजाता के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पुर्णतः सिद्व पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व इसी चक के खाता संख्या 16/4 खाता गुरविन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2065–68 मे नाबालिग सविन्द्रसिंह पुत्र जगजीतसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्रकौर पत्नी जगजीतसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.नवा के स्थान सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख सा. नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एम.एम.के. ढाणी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ शुद्व किया जावे एवं नाबालिग गुरविन्द्रसिह पुत्र जगजीतसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्रकौर पत्नी जगजीतसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.नवा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.10 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जटसिख सा. ढाणी चक 3 एमएमके लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ दर्ज किया जावे व इसी अनुसार जमाबन्दी मे दुरूस्ती की जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक ए–2/एफ/दुरू./धारा–136/भू.अ./ 3230 दिनांक 28.08.2024 द्वारा गुरविन्द्र सिह, सपीन्द्र सिह पि.जगजीत सिह वर्तमान मे चक 3 एमएमके ग्राम पंचायत नाथवाना मे रहते है तथा प्रार्थीगण लगभग 20 वर्षो से चक 3 एमएमके मे स्थायी निवास करते है। गुरविन्द सिह, सपीन्द्र सिह पि. जगजीत सिह की जाति जटसिख है एवं गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका मे जन्म दिनांक 15.09.1990 है एवं सपीन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिह की मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अंकतालिका मे जन्म दिनांक 09.04.1996 है जो कि बालिग होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। जो शामिल पत्रावली है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे प्रार्थीगण ने निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये जैसे चित्र प्रति आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका आदि पेश किये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पुर्णतः सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 4 डीएलपी के खाता संख्या 28/22 खाता नाबालिग गुरविन्द सिह वगैरा ज.स. 2073–2076 व Signature Not Verified
16/4 खाता गुरविन्द सिह वगैरा ज.स. 2065–68 मे नाबालिग सपिन्द्र ...
जगजीतसिंह संरक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्रकौर पत्नी Digitally signed by Jai Kaushi
Date: 2024.10.10 11:02:07 IS
Reason: SelfAttested
(प्रजापति) सा.नवा के स्थान सपीन्द सिह पुत्र जगजीत सिह जाति जटसिख नजदीक गुरूद्वारा साहिब चक 4 एम.एम.के. ढाणी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ शुद्ध किया जावे एवं नाबालिग गुरविन्द्रसिह पुत्र जगजीतसिंह संरक्षक सरपरस्त माता जसविन्द्रकौर पत्नी जगजीतसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.नवा के

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

स्थान गुरविन्द्र सिह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी चक 3 एम.एम.के. लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ शुद्ध किया जावे। शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन है तो यथावत रहेगा। उक्त निर्णय की एक प्रति तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.10 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर / 2024 / 350 दिनांक :- 23.9.24

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :- प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2024 अनवान सपीन्द्र सिह वगैरा बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना-पत्र संख्या 14 / 2024 अनवान सपीन्द्र सिह वगैरा बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2024 की प्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः आप उक्त निर्णय की नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.10 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested